न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 09 / 2017

श्री राजेश कुमार जांगीड़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़
– प्रार्थी

बनाम

श्री कारू सिंह राजपूत पुत्र श्री उदय सिंह राठौड़, मेसर्स हर्षिता नमकीन, बगवास, प्रतापगढ़
– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 02 / 05 / 2017

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सोयाबीन के तेल से निर्मित नमकीन का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र , तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.11.2016 को 12.15 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेसर्स हर्षिता नमकीन बगवास प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ पहुंचा व अपना परिचय दिया । उस समय दुकान पर श्री कारू सिंह पिता उदय सिंह विक्रेता आम जनता को नमकीन सेव आदि बेच रहे थे । विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्था का मालिक स्वयं का होना बताया व स्थाई निवासी गॉव जौधपुरिया पोस्ट अम्बावली तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ होना बताया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया जंहा एक बडी लोहे की ट्रै में लगभग 15 किलो नमकीन सेव रखी हुई थी । पूछने पर उक्त नमकीन सेव सोयाबीन

के तेल से निर्मित होना बताया । उक्त नमकीन सेव को जांच हेतु देखा, देखने पर मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर मालिक को रूबरू गवाह फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर मौके पर नमकीन सेव का नमूना लेने की लिखित सूचना फार्म नं0 5 ए के द्वारा विक्रेता को दी फार्म नं. 5 ए एक प्रति विक्रेता को देकर दूसरी प्रति पर विक्रेता की प्राप्ति रसीद ली। तत्पश्चात गवाहान की उपस्थिति में बडी लोहे की ट्रै में रखी लगभग 15 किलो नमकीन सेव मे से 2 किलो नमकीन सेव हीला मिला कर एक रूप कर एक साफ सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में नमूना वास्ते जांच हेतु खरीदा । जिसकी कीमत विक्रेता को 200 रू0 नकद देकर रसीद प्राप्त की ।

नमूना नमकीन सेव को 4 खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर– बराबर डालकर, 40–40 बुंद फार्मलिन की डालकर एयर टाईट सीलबन्द कर व लेबल पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई–811 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक डिब्बे को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोद से चिपकाया गया । तत्पश्चात डी0ओ0 प्रतापगढ़ के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक वाई–811 गोंद से गोलाई में चिपकाई ,धागे से बांध कर सिल चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया । चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई–811 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये , विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज क्रॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया । मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर,सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिन्होने पढ़,सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना सिल किया था जिसका निशान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही गवाहान की उपस्थिति में की गई ।

कार्यालय में पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 28.11.2016 को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 28.11.2016 को जमा करा कर रसीद प्राप्त की शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 25.11.2016 को जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया सोयाबीन के तेल से निर्मित नमकीन सेव का नमूना धारा 3(1) (ZX) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया । अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री कारू सिंह को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्त ने उसके उपर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जवाब प्रस्तुत किया कि उसने विगत 6 माह से दूकान बन्द कर दी है एवं अ बवह खेती का कार्य कर रहा है। अतः माफी प्रदान करते हुए प्रकरण की कार्यवाही निरस्त करने निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. 710/एक्ट/2016/737 दिनांक 16.12.2016 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेची जा रही नमकीन सेव का नमूना जांच रिपोर्ट में 3(1) (ZX) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। चुंकि अभियुक्त अप्रार्थी के यहां से लिया गया नमकीन सेव का नमूना खाद्य विश्लेषक की जांच में 3(1) (ZX) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है । जिससे अप्रार्थी अभियुक्त Substandard **नमकीन सेव** विक्रय करने का दोषी पाया जाता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री कारू सिंह पिता उदय सिंह राठौड मेसर्स हर्षिता नमकीन, बगवास, प्रतापगढ़ पर **2000/– (अक्षरे दौ हजार रूपये मात्र)** शास्ति आरोपित की

जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 / नकद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 02.05.2017 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2017 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(अनुराग भार्गव)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

कमांक / रीडर / 2017 / 81-83 दिनांक 02.05.2017

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री कारू सिंह राजपूत पिता उदय सिंह राठौड ,मेसर्स हर्षिता नमकीन बगवास, प्रतापगढ़

(अनुराग भार्गव)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़